

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को रीति

वन विभाग, मूलतः एक रेगुलेटरी विभाग है जो विभिन्न वन सम्बन्धी कानूनों को लागू कर रहा है जिसमें विधि सम्मत प्रावधानों को लागू किया जाता है। इस प्रकार वन विभाग राजस्थान में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है जिसमें नकद अनुदान दिया जा रहा हो। अतः वन विभाग द्वारा इस प्रकृति के कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किये जाते हैं।